उप० । मिसल वास्ते बहस आईद
दिनांक 26/12/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन रफा।
प्रकरण में मूल वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर
तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया है
प्रतिवादीगण द्वारा रुबाकीया जवाब पेश कर
दावा स्वीकार किया गया है। लिहाजा आवेदन पत्र
का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज किया जाता
है। पत्रावली खारिज होकर फैसल शुमार ~~होकर~~ हो।

26/12/2

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर